न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

मु.नं.:— 19/2024 तारीख रजू :— 24.02.2024

पीठासीन अधिकारी :— पूजा मीना आर.ए.एस.

1. श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि योगेश वर्मा उम्र 52 साल जाति बैरवा निवासी दौसा जिला दौसा
2. श्रीमति सीमा देवी पत्नि राजेश कुमार गौतम उम्र 50 साल जाति बैरवा निवासी लाका बैराबडा तहसील सिकराय, जिला दौसा

वादीगण

वनाम

1. निरंजन पुत्र देवीराम
2. भरतलाल पुत्र देवीराम
   समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी
3. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी
4. उपपंजीयक तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 टी0 एक्ट

उपस्थित :— 1 श्री हंसराम गुर्जर एडवोकेट वादी

2 श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 19/08/25

दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 396 रकबा 1.68 है0 ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम में स्थित है। इस भूमि के हिस्सा 3/140 अर्थात 360 वर्गमीटर को वादीगण ने प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के स्व0 पिता देवीराम पुत्र पांच्या से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20.12.2006 को खरीद किया है तथा उक्त विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय टोडाभीम में विधिवत रजिस्टर्ड पंजीबद्ध हुआ है लंकिन रेवेन्यू रिकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं हो पाई है। देवीराम का देहान्त हो गया है तथा विरासत से प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम खातेदारी हो गई है। खसरा नम्बर 396 के हाल जमाबन्दी में बटा खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

734/396 रकबा 1.0834 कायम किया है तथा अन्य बटे नम्बर भी कायम किये गये है। वादीगण मुताबिक विक्रय पत्र में हिस्सा 3/140 के खातेदार है तथा वादीगण की यह भूमि हाल खसरा नम्बर 734/396 रकबा 1.0834 में है, जिसकी खातेदारी प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम दर्ज है तथा इसी खसरा नम्बर में वादीगण विक्रीत भूमि पर काबिज है तथा अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है। वादीगण की खरीदशुदा भूमि की चारो तरफ से पक्की बाउन्ड्रीवाल हो रही है तथा काबिज है। वादीगण खरीदने के दिन से आज तक बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे है। वादीगण की इस भूमि से प्रतिवादी नं0 1 व 2 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

वादीगण दिनांक 12.02.2024 को अपनी खरीदशुदा भूमि पर बैठी हुई थी कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 वादीगण के पास आये और वादीगण को भूमि से बेदखल करने व अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दी। तब दिनांक 12.02.2024 को मालूम हुआ कि विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम खातेदारी नहीं हुई है। इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 व 2 बावत् घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 734/396 रकबा 1.0834 है0 ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम में मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20.12.206 रकबा 0.0360 है0 का वादीगण को हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे कि वे उपरोक्तानुसार रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल करे। साथ ही यह भी निवेदन किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 734/396 रकबा 1.0834 है0 ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम में वादीगण के हिस्सा रकबा 0.0360 है0 में वादीगण के कब्जे के संबंध में रूकावट पैदा नहीं करे तथा अन्य किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय रहन आदि नहीं करे तथा प्रतिवादी नं0 3 भूमि की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादी नं0 4 उक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज रहन, विक्रय आदि का रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधिवक्ता ने जबाव मय काउन्टर क्लेम के प्रस्तुत किया, [illegible] वर्णित अधिकतम बिन्दुओं अस्वीकार करते हुये विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादीगण के पिता देवीराम द्वारा वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि का कुछ हिस्सा यदि बेचा भी गया है तो उक्त तथ्य प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की जानकारी में नहीं है। मुताबिक वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रतिवादीगण के पिता से कय की गई 360 वर्गमीटर भूमि से अधिक भूमि पर वादीगण प्रतिवादीगण की शेष भूमि में करीब 8 फिट अन्दर अतिचार कर नींव खोदकर पुख्ता निर्माण करने पर उतारू है। जबकि वादीगण को ऐसा कृत्य करने का तथा कृषि भूमि को गैरकानूनी रूप से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है।

काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण बावत् तकास्मा प्राथमक डिकी फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 734/396 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर बावत् तहसीलदार टोडाभीम को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त कर मुताबिक कब्जा बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस तलब फरमाई जाकर बाद प्राप्त बंटवारा स्कीम काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण फाईनल डिकी फरमाया जावे और उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया जावे। वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवागण आराजी खसरा नम्बर 734/396 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर में तकास्मा होकर अलग नम्बर कायम होने एवं सीमाज्ञान होने से पूर्व उक्त आराजी में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। वादीगण उक्त आराजी के संबंध में कोई भी ऐसा कार्य ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे जिससे हक हकूक प्रतिवादीण प्रतिकूल असर पडता हो। वादीगण मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण का दावा खारिज कर, प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाते हुये मुताबिक काडन्टर क्लेम दावा डिकी किया जावे।

वादी वकील का प्रतिवादी वकील की ओर प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जबाव प्रस्तुत कर अगवत कराया है कि प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम जिस प्रकार तहरीर किया स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण के पिता देवीराम द्वारा वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र भूमि का कुछ हिस्सा यदि बेचान भी किया है तो उक्त तथ्य प्रतिवादी नं0 1 व 2 की जानकारी नहीं है। मुताबिक वादीगण प्रतिवादीगण के पिता से खरीद की गई 360 वर्गमीटर भूमि से अधिक भूमि पर वादीगण का प्रतिवादीगण की शेष भूमि में करीब 08 फिट अन्दर अतिचार कर नींव खोद कर निर्माण करने पर उतारू है। उक्त तथ्य प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा को गुमराह करने के आशय से दर्ज किये है जबकि सत्यता यह है कि भूमि खसरा नम्बर 396 रकवा 1.68 है0 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर में हिस्सा 3/140 अर्था 360 वर्गमीटर को प्रतिवादी नं0 1 व 2 के स्वर्गीय पिता देवीराम पुत्र पांच्या से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक [illegible]6 को खरीद किया है तथा यह विकय पत्र उपपंजीयक कार्यालय टोडाभीम के यहां रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध हुआ है लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं हो पाई। प्रतिवादीगण के पिता देवीराम का देहान्त हो गया है तथा देवीराम की मृत्यु के बाद विरासत से उक्त भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:33 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

खातेदारी प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम हो गई है। वादीगण ने अपने खरीद शुदा भूखण्ड पर चारों तरफ पक्की बाउण्ड्री वाल करवा रखी है तथा अपनी खरीद शुदा भूमि पर खरीद के दिन से बहैसियत मालिक काबिज चली आ रही है। परन्तु प्रतिवादीगण की नियत में अपने पिता देवीराम की मृत्यु के बाद बेईमानी आ गई है जो वादीगण की खरीद शुदा भूमि की खातेदारी नहीं होने देना चाहते है। काउन्टर क्लेम का मद नम्बर 9 गलत होने के कारण अस्वीकार है। जब खसरा नम्बर 734/396 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर की भूमि में से प्रतिवागण के पिता देवीराम वादीगण को 360 वर्गमीटर भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवा चुके है तो सम्पूर्ण खसरे का बंटवारा करवाने का प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। जब प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 734/396 स्थित मेहन्दीपुर के सम्पूर्ण रकबे के खातेदार व मालिक ही नहीं है ना ही काबिज है तो उक्त खसरा नम्बर के संबंध में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ दिया जाना विधिक रूप से न्याय संगत नहीं है और प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज होने योग्य है।

वकील उभयपक्षकारान की ओर से जबाव प्राप्त होने के पश्चात् पत्रावली में तनकीयात निम्नप्रकार कायम की गई।

1. आया है कि आराजी खसरा नम्बर 734/396 रकवा 1.0834 है0 ग्राम मेहन्दीपुर बालाजी में स्थित है। जिसमें से वादियागण ने दिनांक 20.12.2006 को जरिये रजिस्टर्ड खरीद की है। वादीगण को अपने हिस्से की खरीद की गई आराजी का खातेदारी कराने का हकदार है।

(जिम्मे वादी)

2. आया है कि आराजी खसरा नम्बर 734/396 ग्राम मेहन्दीपुर में है। तकास्मा होने तक आराजी का अलग नम्बर कायम होने एवं सीमाज्ञान नहीं होने तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। काउण्टर क्लेम के आधार पर दावा खारिज योग्य है। वादीगण मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(जिम्मे प्रतिवादी)

वकील पक्षकारान ने तनकीयात का अवलोकन किया अपनी सहमति जाहिर की। तनकीयात स्पष्ट की जाती है।

पत्रावली पर वकील उभयकारान ने दिनांक 19.08.2025 को प्रार्थना पत्र पेश कर उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.08.2025 से तलब कर पक्षकारों के बीच हुये राजीनामा के [illegible] निर्णित करने हेतु निवेदन किये जाने पर पत्रावली तलब की गई एवं पक्षकारान के [illegible] राजीनामा का अवलोकन किया। राजीनामा में अंकन [illegible] व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया गया, [illegible]दमा लडना नहीं चाहते है। भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:33 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

खसरा नम्बर 396 रकवा 1.68 है0 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम में से हिस्सा 3/140 अर्थात 360 वर्गमीटर को वादीगण को प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के स्व0 पिता देवीराम पुत्र पांच्या ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया था तभी से वादीयागण मुताबिक विक्रय पत्र अपनी भूमि पर काबिज व दखील है। उक्त खसरा नम्बर के परिवर्तित खसरा नम्बर 734/396 व अन्य खसरा नम्बर बने है। अतः वादीयागण को खसरा नम्बर 734/396 में हिस्सा 3/140 अर्थात 360 वर्गमीटर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

मैने वकील उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। आदेशिका पर उभयपक्षकारान की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 396 रकवा 1.68 है0 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम में से हिस्सा 3/140 अर्थात 360 वर्गमीटर को वादीगण को प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के स्व0 पिता देवीराम पुत्र पांच्या ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया था तभी से वादीयागण मुताबिक विक्रय पत्र अपनी भूमि पर काबिज व दखील है। अतः पत्रावली में शामिल दस्तावेजात एवं राजीनामा के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः मुताबिक राजीनामा ग्राम मेहन्दीपुर के आराजी खसरा नम्बर 396 रकवा 1.68 है0 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम में से हिस्सा 3/140 अर्थात 360 वर्गमीटर को वादीगण को प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के स्व0 पिता देवीराम पुत्र पांच्या ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया था तभी से वादीयागण मुताबिक विक्रय पत्र अपनी भूमि पर काबिज व दखील है। उक्त खसरा नम्बर के परिवर्तित खसरा नम्बर 734/396 व अन्य खसरा नम्बर बने है। अतः मुताबिक राजीनामा वादीयागण को खसरा नम्बर 734/396 में हिस्सा 3/140 अर्थात 360 वर्गमीटर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

यह निर्णय दिनांक 19/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:33 IST
Reason: SelfAttested